22-12-17

वकुलाये फरीकैन उपस्थित । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित आराजी खसरा नं0 856 रकबा 18.73 हैक्टर तन ग्राम बिहारीपुर किस्म सिवाय चक में से 2.00 हैक्टर दिनांक 19-6-1999 को नियमन परामर्श-दात्री समिति नीमकाथाना द्वारा अपीलान्ट को पुराना कब्जा काश्त के आधार पर नियमन की गई जिस पर अपीलान्ट अपने पिता के समय से 50 वर्षों से काबिज चला आ रहा है । राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त आराजी अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं हो सकी। जिसके कारण रेस्पोडेन्ट सं0-2 ने अपीलान्ट को राज0 भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 के तहत बेदखल करने की धमकी देने पर अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा पेश किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Web Copy - Not Official

134/2016 चिरंजीलाल — सरकार

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	जिसे अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सूचना दिये बिना सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान में कैम्प डाबला में रख कर अपीलान्ट का दावा खारिज कर दिया जो विधि के विपरित है। जिसमें अपीलान्ट को न तो सुनवाई का अवसर दिया और न ही साक्ष्य पेश करने का अवसरि दिया । प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 17-6-2017नियत है । इस पेशी पर कोई कार्यवाही न कर आगामी पेशी ही नहीं दी गई । न इस पेशी की आदेशिका दर्ज की है ।बिना अपीलान्ट को सुने बिना सूचना दिये अपनी मनमर्जी के अनुसार कैम्प मे रखकर आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है । जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है ।	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
सत्यमेव जयते
सीकर

अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया ।अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर ~~xxx~~ समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया । दावे में अपनाई जाने वाली विधिक प्रक्रिया की कोई पालना नहीं की गई अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया ।प्रकरण में 28-6-16 की कोई पेशी नहीं है । इसके बाद की पूर्व पेशी दिनांक 0 17-6-16 की कोई आदेशिका न लिखकर बिना तारीख पेशी के निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है ।अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने अपना निर्णय अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया है। जिसे हम यथावत रखा जाना उचित न मानकर प्रकरण को अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	उचित मानते है जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया जा सके । अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22-6-2016 खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबुत पेश करने का समुचित अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 25-1-18 को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । (भंवरलाल ओझा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	